



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235128
CG-DL-E-13042022-235128

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1701]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 2022/चैत्र 22, 1944

No. 1701]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 2022/CHAITRA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2022

का.आ. 1788(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का. आ. 794 (अ.) तारीख 26 अप्रैल, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखण्ड (ii) में तारीख 26 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित की गई थी तथा बाद में का. आ. 2460 (अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2012 एवं का. आ. 242 (अ) तारीख 14 जनवरी, 2016 एवं का. आ. 3958 (अ) तारीख 21 दिसम्बर 2017 के तहत संशोधित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना संख्या का. आ. 3958 (अ), तारीख 21 दिसम्बर 2017 की अनुसूची के हिंदी पाठ में-

क्रम संख्या (i), (ii), (iii) एवं (iv) में विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग- 215, केंडझर के स्थान पर प्रविष्टी "भूमि अर्जन अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग-6, केंडझर" प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. एनएचएआई/11013/ओडिशा/एनएच-6/एलए/नोटिफिकेशन/3क]

राजेश गुप्ता, निदेशक

पद टिप्पणी - मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 794 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2011, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii), तारीख 26 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित की गई थी तथा बाद में का. आ. 2460 (अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2012 एवं का. आ. 242 (अ) तारीख 14 जनवरी, 2016 एवं का. आ. 3958 (अ) तारीख 21 दिसम्बर 2017 के तहत संशोधित की गई थी।

विशेष भूमि अर्जन यूनिट, एनएच-6, क्योङ्गरो विघटन

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th April, 2022

S.O. 1788 (E).— In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways Number S.O. 794 (E) dated the 26th April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 26th April, 2011 and subsequently amended vide S.O. 2460 (E) dated the 13th October, 2012, S.O. 242 (E) dated the 14th January, 2016 and S.O. 3958 (E) dated the 21st December, 2017 namely :—

In the Schedule to the said notification No. 3958 (E) dated 21st December, 2017 in the English part:—

Against Sl. No. (i), (ii), (iii) and (iv) against “Special Land Acquisition Officer, NH-215, Keonjhar, the entry “Land Acquisition Officer & Competent Authority, NH-6, Keonjhar” may be substituted.

[F. No. NHAI/11013/Odisha/NH-6/LA/Notification/(3a)]

RAJESH GUPTA, Director

Foot Note: The Principal Notification was published vide S.O. 794 (E) dated the 26th April, 2011, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 26th April, 2011 and subsequently amended vide S.O. 2460 (E) dated the 13th October, 2012, S.O. 242 (E) dated the 14th January, 2016 and S.O. 3958 (E) dated 21st December, 2017.

Disbanding of Special Land Acquisition Unit, NH-6, Keonjhar